संख्या-2024/ 001-365422024

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-10/02/2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-खेलकूद निदेशालय-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-927/2023-24,दिनांक 07.11.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल संलग्न बी0एम0-9(भाग-1) प्रपत्र संख्या- A042-20232024-3441422023, दिनांक- 09-02-2024 (प्रति संलग्न) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-खेलकूद निदेशालय-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद हेतु रू0 5,00,000 (रुपये पॉच लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,00,000 (रुपये पॉच लाख मात्र) निदेशक, खेल के निर्वतन पर रखी जायेगी।उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष-2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) निदेशक, खेल द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

(6) निदेशक, खेल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी0-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 2204000010300 खेलकूद निदेशालय **मानक मद** 15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

संख्या-2024/ 001-365422024, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6- नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
संयुक्त सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A042-20232024-3441422023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें 001-निदेशन तथा प्रशासन 03 - खेलकूद निदेशालय -15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
022	2204000010300 (खेलकूद निदेशालय)	03 (मंहगाई भत्ता)	20,25,00,000 रुपये बीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र	7,37,000 रुपये सात लाख सैंतीस हजार मात्र	7,37,000 रुपये सात लाख सैंतीस हजार मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	20,20,00,000 रुपये बीस करोड़ बीस लाख मात्र	2023-2024
कुल					₹ 7,37,000	₹ 5,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
022	2204000010300 (खेलकूद निदेशालय)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	7,37,000 रुपये सात लाख सैंतीस हजार मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 7,37,000	₹ 5,00,000		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाये-001-निदेशन तथा प्रशासन 03-खेलकूद निदेशालय 03-महंगाई भत्ता में रू0 7.37 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

मुख्यालय तथा जनपदों में संचालित शासकीय वाहन के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद पर उपलब्ध बजट के अतिरिक्त माह मार्च 2024 तक कुल धनराशि रू0 7.37 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-416-E-5-181-X-2023-24-दिनांक:09-02-2024

सेवा में,

महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

कपिल देव भारती
अनु सचिव

संख्या : A042-20232024-3441422023/ , दिनांक- 09 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।
5- वित्त ई-5 ।

आज्ञा से
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।